न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./37/2022/जैसलमेर

अपीलांटस	रेसपोडेंटगण
शाह मोहम्मद पुत्र श्री हाजी खान जाति मुसलमान निवासी मेहताबगढ़ (ऊंजला) तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. खेरदीन पुत्र हाजी खान 2. फरीद मोहम्मद पुत्र हाजी खान 3. अमीन खां पुत्र हाजी खां 4. लतीफ खां पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान निवासी मेहताबगढ़ (ऊंजला) तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 5. श्री तहसीलदार पोकरण 1. श्री मैनेजर राजस्थान मारवाड़ ग्रामीण बैंक ऊंजला हाल मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा ऊंजला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2020 बउनवान वादी खेरदीन बनाम शाहमोहम्मद वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हाकमसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—01.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/उतरदाता ने अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान सहायक कलक्टर,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पोकरण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा मेहताबगढ़ (ऊंजला) तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर में वादी एवं प्रतिवादीगण का खेत खसरा संख्या 218/262 रकबा 40.05 बीघा का आया हुआ है। जिसमें मौखिक बंटवारा कर अलग–अलग काश्त करते हैं जिसका बंटवारा करना चाहकर बंटवारा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिस्सों को विधिवत घोषणा किये बिना अपीलाधीन आराजी का बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद पर विश्वास कर काल्पनिक कयास के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। उत्तरदाता/वादी की न तो कोई शहदात ली है और न ही किस प्रकार हिस्सा है इस पर भी कोई गौर नहीं किया है और न पत्रावली का भलीभांति अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का वाद आरटीकल ए के अनुसार था जिसे साबित करवाये तथा किस पक्षकार का कितना हिस्सा है साबित करवाये सिर्फ रेकर्ड जमाबंदी में पांच नाम होने के अनुसार कयास लगाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पोकरण को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पोकरण द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की पालना नहीं की गई है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अभी करीब 10 रोज पूर्व उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट की काश्त भू भाग पर दखल किया और बताया कि अपीलाधीन आराजी के दक्षिणी भू भाग पर रकबा 08.01 बीघा का फैसला वादी के हक में हो चुका है। जिस पर अधीनस्थ न्यायलाय से हस्तगत प्रकरण की नकलें हासिल करने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.08.2022 को पेश करवाया और उसकी नकलें ली गई जिसके पठन से वाद विचारण व निस्तारण तथा वाद में अपीलांट की सम्यक रूप से तामिल मानकर एकतरफा सुनवाई करने का ज्ञान हुआ। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई लेकिन अपील में हिस्सों को लेकर कोई आपति पेश नहीं की गई। जबकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री से हिस्सों की घोषणा की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

(नवनीत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2020 बउनवान वादी खेरदीन बनाम शाहमोहम्मद वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

1/4/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/4/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर